R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08

खण्ड III ◆ अंक 8
फरवरी 2007

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

बैंकिंग

सरकारी प्राप्तियों के विप्रेषण में देरी के लिए दण्डस्वरूप ब्याज

राजकोष में सरकारी राजस्व जमा करने के सभी पहलुओं से संबंधित प्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए भारत सरकार,वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार,वित्त मंत्रालय ने 1 जनवरी 2007 से प्रक्रिया को संशोधित किया है। संशोधित प्रक्रिया का विस्तृत विवरण नीचे प्रस्तुत है:

i) *स्थानीय लेनदेन:* केन्द्रीय लेखा अनुभाग,भारतीय रिज़र्व बैंक को सरकारी प्राप्तियों के विप्रेषण के लिए वर्तमान समय सीमा जारी रहेगी अर्थात जब भी एक ही शहर/संकुल में बैंक की वसूली शाखा तथा फोकल प्वाइंट शाखा हो तब भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ लेनदेन का निपटान टी + 3 कार्यदिवस के भीतर पूरा किया जाना चाहिए (यहां पर टी का अर्थ है वह दिन जब बैंक शाखा को धन उपलब्ध होता है)।कार्यदिवस का आकलन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का कैलेण्डर देखा जाए।

ii) *नगर से बाहर के लेनदेन:* केन्द्रीय लेखा अनुभाग (सीएएस),भारतीय रिज़र्व बैंक को सरकारी प्राप्तियों के विप्रेषण की वर्तमान समय सीमा जारी रहेगी अर्थात जब भी विभिन्न शहर/संकुल में बैंक की वसूली शाखा तथा फोकल प्वाइंट शाखा हो तब भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ लेनदेन का निपटान टी + 5 कार्यदिवस के भीतर पूरा किया जाना चाहिए (यहां पर टी का अर्थ है वह दिन जब बैंक शाखा को धन उपलब्ध होता है)।कार्यदिवस का आकलन करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का कैलेण्डर देखा जाए।

iii) स्थानीय और नगर से बाहर के लेनदेनों की प्रभावी तारीख के मामले में अर्थात केन्द्रीय लेखा अनुभाग (सीएएस),भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ निपटान की तारीख को इस टी+3 और टी+5 के कार्यदिवस की वर्तमान समय सीमा से क्रमश: बाहर रखा जाए।

iv) बैंकों पर लेनदेन की तारीख से लंबित अवधि के लिए ब्याज न लेते हुए केवल लंबित ब्याज की अवधि हिसाब में ली जाए।अन्य शब्दों में *लंबित अवधि* का आकलन प्रभावी तारीख के बाद वाले दिन से आरंभ होगा।

v) 1 लाख रुपए और उससे अधिक के लेनदेन में लंबित अवधि पर बैंक दर +2% की लंबित ब्याज अवधि लागू होगी।भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर अधिसूचित दर पर बैंक दर होगी।

vi) रु..1 लाख से कम के लेनदेन के लिए 5 कैलेण्डर दिनों तक के विलंब पर लंबित ब्याज अवधि केवल बैंक दर पर तथा 5 कैलेण्डर दिनों से ऊपर हुए विलंब की पूरी अवधि के लिए बैंक दर+ 2% की दर पर ब्याज लगाया जाएगा।लेनदेन के समय पर लागू भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित दर पर बैंक दर होगी।

vii) करेतर और अन्य सभी सरकारी प्राप्तियों के संबंध में अनुमत समय सीमा,लंबित अवधि,लंबित अवधि ब्याज के लिए पैरा 1 से 5 के उक्त अनुदेश लागू होंगे।

viii) महानियंत्रक लेखा द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि मंत्रालय/विभागों के प्रत्येक प्रधान मुख्य नियंत्रक लेखा (पीआरसीसीए),मुख्य नियंत्रक लेखा (सीसीए) और नियंत्रक लेखा (सीए) बैंकों द्वारा किए गए सभी प्रकार के विप्रेषण की तिमाही समीक्षा करेंगे।यदि बैंकों में समग्र रूप से 5% और उससे अधिक का विलंब पाया गया अथवा उनकी किसी भी शाखाओं में दो तिमाहियों में लगातार विलंब पाया गया तब संबंधित बैंक अथवा शाखा के प्राधिकरण को प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक/मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक की सिफारिश के साथ महानियंत्रक लेखा को प्रेषित कर दिया जाएगा।बैंकों से अपेक्षा है कि वे अपने स्वयं की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था विकसित करें ताकि वे अपनी शाखाओं के लिए समय पर निवारक और सुधारक कार्रवाई कर सकें।

ix) सरकारी कारोबार संचालित करनेवाले विशेषकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अपेक्षा है कि वे कोर बैंकिंग समाधान(सीबीएस) और अन्य इलेक्ट्रॉनिक स्वरू पों का कार्यान्वयन शीघ्र से शीघ्र करें। एक वर्ष के पश्चात महानियंत्रक

विषय सूची

पृष्ठ

बैंकिंग
सरकारी प्राप्तियों के विप्रेषण में देरी के लिए दण्डस्वरू प ब्याज 1
विदेशी मुद्रा
रद्द की गई संविदाओं की पुन: बुकिंग 2
अनिवासी(बाह्य)रु पया खाता/विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता(बैंक) की जमाराशियों के बदले अनिवासी भारतीयों(एनआरआई)/तृतीय पक्ष को ऋण 2
ग्राहक सेवा
8% रिलीफ बांड,2002 की चुकौती 2
नीति
वर्ष 2006-07 के लिए मौद्रिक नीति के संबंध में वार्षिक वक्तव्य की तीसरी तिमाही समीक्षा :मुख्य -मुख्य बातें 3

लेखा द्वारा सरकारी लेनदेन संचालित करने वाले सभी बैंकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा के साथ सरकारी कारोबार संचालित करने के लिए उनके द्वारा अपनाए जा रहे तकनीकी विकास की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।इस समीक्षा के साथ महानियंत्रक लेखा बैंक/शाखाओं के प्राधिकरण और प्रभावी रूप से सरकारी लेनदेन संचालित करने के लिए संबंधित अन्य मानदंडों के प्रति विचार करेंगे।

विदेशी मुद्रा

रद्द की गई संविदाओं की पुनः बुकिंग

प्राथमिक व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे विदेशी संस्थागत निवेशकों(एफआइआइ) भारत में इक्विटी/अथवा ऋण में उनके समस्त निवेश के बाजार मूल्य की 2 प्रतिशत सीमा तक वायदा संविदाओं के रद्द करने और पुनः बुकिंग करने की अनुमति प्रदान करें। पुनः बुकिंग की सीमा की गणना का आधार वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के प्रारंभ में पोर्टफोलियो का बाजार मूल्य होगा।बकाया संविदाएँ अनिवार्य रू प से सर्वदा मूल निवेश जोखिम द्वारा विधिवत् समर्थित हों।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों को सुनिश्चित करना होगा कि-

(i) कुल वायदा संविदा बकाया पोर्टफोलियो के बाजार मूल्य से अधिक न हो, और

(ii) पुनः बुकिंग के लिए अनुमत वायदा संविदाएं वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में पोर्टफोलियो के यथानिर्धारित बाजार मूल्य के 2 प्रतिशत से अधिक न हों।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंक वायदा रक्षा की निगरानी अनिवार्य रू प से पाक्षिक आधार पर करें।योजना की समीक्षा सतत आधार पर जारी रहेगी।

अनिवासी(बाह्य)रु पया खाता/विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता(बैंक) की जमाराशियों के बदले अनिवासी भारतीयों(एनआरआई)/तृतीय पक्ष को ऋण

बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अनिवासी (बाह्य) रु पया खाता और विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) जमाराशियों के बदले जमाकर्ताओं अथवा तृतीय पक्ष को 20 लाख रुपये से अधिक के नये ऋणों की स्वीकृति न दें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे ऋण राशि को सीमा के भीतर रखने के लिये उसके कृत्रिम हिस्से ना करें।

ग्राहक सेवा

8% रिलीफ बांड,2002 की चुकौती

8% रिलीफ बांड,2002 अलग-अलग निवेशों की तारीख के अनुसार 1 मार्च 2007 से चुकौती के लिए परिपक्व हो जाएँगे। एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे नीचे दिए गए अनुसार बांड बही खाते (बीएलए) के अंतर्गत रखे गए बांडों की चुकौती के संबंध में सामान्य प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करें।

सूचनाएँ जारी करना

धारकों का ध्यान आकर्षित किया जाता है कि वे अपने बांडों के परिपक्व होने की सूचना उस तारीख से एक महीने पहले दें जिस तारीख को बीएलए में निवेश चुकौती के लिए बकाया हो गया है। धारकों को यह सूचित किया जाए कि वे अपेक्षित दस्तावेज़ 20 दिन पहले प्रस्तुत करें ताकि निर्धारित तारीख को ही चुकौती की जा सके। सूचनाएँ पंजीकृत/स्पीड पोस्ट से भेजी जाएँ। यह सुनिश्चित किया जाए कि सूचनाएँ केवल बीएलए के संबंध में भेजी जाएँ जिन्हें रोका नहीं जाता है।

भारत सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए कुछ अपवादों के साथ प्रति निवेशक प्रति वर्ष अधिकतम 2 लाख रु पए की एक योजना उपलब्ध करायी है। एजेंसी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अत्यधिक सतर्कता बरतें और यह सुनिश्चित करें कि 2 लाख रु पए से अधिक के निवेश पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाए। गैर-संचयी बांडों पर पहले भुगतान किए गए ब्याज को चुकौती के समय मूलधन की राशि से वसूल/समायोजन किया जाए।

परिपक्वता के बाद का ब्याज

एजेंसी बैंक निवेशकर्ता को यह सूचित करें कि प्रधानतः उपर्युक्त सूचनाओं में निवेश पर परिपक्वता अवधि के बाद कोई ब्याज नहीं दिया जाता है।

चुकौती प्रमाणपत्र

नामित शाखाओं से यह अपेक्षित है कि वे चुकौती के समय विधिवत् उन्मोचित धारण प्रमाणपत्र (सीओएच) प्राप्त करें। यदि धारण प्रमाणपत्र में एकाधिक निवेश हैं तो धारण प्रमाणपत्र पर उन्मोचन का आग्रह नहीं किया जाए। निवेशकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गये धारण प्रमाणपत्रों/निवेश प्रमाणपत्रों (सीओएच-सीओआइ) का सत्यापन बांड बही खाते के साथ किया जाए। निर्धारित फार्मेट में बांड बही खाता धारक से प्राप्त मुहर लगी रसीद को चुकौती प्रमाणपत्र माना जाए और इसे सुरक्षित रखा जाए। एजेंसी बैंक भुगतान करने के पहले यह सुनिश्चित करें कि सभी अपेक्षित ब्यौरे रसीद में दिये गए हैं।

यदि चुकौती की राशि एक लाख रुपये से अधिक हो तो निवेशकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे अपनी पीएएन/जीआइआर संख्या का विवरण दें अथवा पीएएन/जीआइआर संख्या नहीं रहने पर फार्म संख्या 60 में एक घोषणा करें।

भुगतान

- उन्मोचित मूल्य का वास्तविक भुगतान केवल निर्धारित तारीख को अथवा बाद में किया जाए यदि रसीद परीपक्वता की निर्धारित तारीख के बाद प्रस्तुत की जाती है। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत परिपक्वता तारीख को राज्य सरकार द्वारा कोई अवकाश घोषित किया जाता है अथवा परिपक्वता की तारीख रविवार को पडती है तो परिपक्वता आय का भुगतान उसके पूर्ववर्ती कार्य दिवस को किया जाए।
- संबंधित बैंक शाखओं द्वारा चुकौती, बांड बही खाता में प्रविष्टि और निवेश(निवेशों) के समापन के ब्यौरे दर्ज करते हुए अर्थात् बांड बही खाते में तारीख (तारीखों) और राशि(राशियों) का निश्चित रूप से उल्लेख करके और परिवेक्षी अधिकारी द्वारा विधिवत् अधिप्रमाणन के साथ किया जाए।
- यदि उसी बांड बही खाते में एकाधिक निवेश किये गए हैं तो चुकौती/अलग-अलग निवेशों के समापन को किसी अधिकारी के अधिप्रमाणन के अंतर्गत चिह्नित किया जाए और इसका उल्लेख बांड बही खाते में किया जाए। अलग-अलग निवेशों के संबंध में बांड बही खाता संख्या, परिपक्वता की तारीख और राशियों का उल्लेख करते हुए धारण का एक विवरण तैयार किया जाए और उसे निवेशकर्ता को उसके निवेश प्रमाणपत्र के साथ दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि बांड बही खाते में दर्शाए गये बकाया शेष और धारण का विवरण एक समान हैं।
- भुगतान निवेशकर्ता के बचत बैंक खाते में जमा करते हुए अथवा इस आधार पर एक भुगतान आदेश जारी करते हुए किया जाए कि निवेशकर्ता के पास किसी बैंक के पास खाता है या नहीं। भुगतान इसीएस/इएफटी के अंतर्गत निवेशकर्ता के अधिदेश पर भी किया जा सकता है। यदि निवेशकर्ता परिपक्वता आय को डाक द्वारा प्राप्त करना चाहता है तो इसे स्पीड/पंजीकृत डाक से इस प्रकार भेजा जाए कि वह परिपक्वता की तारीख से कम-से-कम एक दिन पहले उसे प्राप्त हो जाए।

(पृष्ठ 4 पर जारी)

नीति

वर्ष 2006-07 के लिए मौद्रिक नीति के संबंध में वार्षिक वक्तव्य की तीसरी तिमाही समीक्षा :मुख्य -मुख्य बातें

डॉ. वाइ.वेणुगोपाल रेड्डी, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 31 जनवरी 2007 को वर्ष 2006-07 के लिए मौद्रिक नीति के संबंध में वार्षिक वक्तव्य की तीसरी तिमाही समीक्षा प्रस्तुत की।इस समीक्षा की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

मौद्रिक नीति का रुझान

- वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दर मध्यावधि समीक्षा में परिकल्पित 8.0 प्रतिशत तथा वार्षिक मौद्रिक नीतिगत वक्तव्य और पहली तिमाही समीक्षा में परिकल्पित 7.5-8.0 प्रतिशत की तुलना में 2006-07 के लिए 8.5-9.0 प्रतिशत रहने की संभावना है।
- वर्तमान समय में किए जा रहे नीतिगत उपायों का उद्देश्य मुद्रा स्फीति को घटा कर 5.0-5.5 प्रतिशत के उल्लिखित दायरें में यथाशीर्घ यथासंभव लाना है तथा मुद्रा स्फीति की 5.0 प्रतिशत की सीमा के मध्यावधि लक्ष्य का भी पीछा करते रहना है।
- अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल मूल्यों का वर्तमान स्तर के बने रहने की संभावना है यद्यपि कुछ भौगोलिक राजनीतिक जोखिम बने रहेंगे।
- मौद्रिक नीति के संचालन में मुख्य रूप से तीन बातों का सामना किया जा रहा है: प्रथम, मांग दबाव बढ़ती मुद्रा स्फीति है हो मुद्रा स्फीति, उच्च मुद्रा और ऋण वृद्धि, आस्ति कीमतों में वृद्धि, उपयोगिता क्षमता पर दबाव, पारिश्रमिक दबावों के कुछ संकेतों और व्यापारिक घाटे की फैलाव में प्रतिबिंबित होते हैं। द्वितीय, प्राथमिक सामग्रियों की कीमतों से आपूर्ति पक्ष पर दबाव अधिक होने के प्रमाण मिले हैं और तृतीय मौद्रिक नीति को लगातार निवेश में हो रहे विस्तार में उत्पादक क्षमता और आधारभूत संरचना में निराशाजनक प्रतिक्रिया ही देखने को मिली।
- लगातार तीसरे वर्ष भी बैंक ऋणों का तेजी से बढ़ना जारी रहा और वृद्धि की दर, हमारे देश में ऋण वितरण के न्यून स्तर और अर्थ व्यवस्था की आधारभूत संरचना में हो रहे बदलावों को भी हिसाब में लेते हुए, स्पष्ट रूप से अत्यधिक रही जो समयानुकूल वृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपाय करने के संकेत देती है।
- भू-संपदा क्षेत्र में जारी उच्च ऋण वृद्धि, क्रेडिट कार्ड की बकाया राशियां, पूंजीगत बाजार निवेश के रूप में अग्रिम और व्यक्तिगत ऋण चिंता का विषय है। अत: आवश्यक हैं कि इन मानक आस्तियों (आवासीय गृह निर्माण ऋणों को छोड़कर) के लिए एक प्रतिशत प्रावधान को बढ़ाकर दो प्रतिशत किया जाए।
- इसके अलावा यह निर्णय किया गया है कि महत्त्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को लेकर गैर जमा के मानक आस्ति में बैंकों के जाखिम के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षा को 0.4 प्रतिशत से बढ़ाकर दो प्रतिशत और ऐसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में बैंकों के जोखिम के लिए जोखिम भार को 100 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत किया जाए।
- बड़ी मात्रा में पूंजी अंतर्वाह से आई तरलता में समयानुकूल परिवर्तन करने में अच्छाई ही है,अत: निर्णय लि या गया है कि अनिवासी विदेशी खाता जमाराशियों पर ब्याज दर सीमा को तदनुरूपी परिपक्वता के अमरीकी डालर के लिए लिबोर / स्वैप दरों के ऊपर 100 आधार बिंदु से घटाकर 50 आधार बिंदु किया जाए और विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) जमाराशियों पर ब्याज दर की सीमा को अलग-अलग मुद्रा / परिपक्वता अवधियों के लिए लिबोर / स्वैप दरों के नीचे लिबोर / स्वैप दरों को 25 आधार बिंदु से घटाया जाए।
- इन सुविधाओं के उपयोग के माध्यम से संवेदनशील क्षेत्रों में परिसंपत्ति मूल्यों पर उपरी दबाव से बचने के लिए बैंकों को अनिवासी विदेशी खाता और विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) जमाराशियों पर 20 लाख रुपये से अधिक नये ऋण प्रदान करने से रोका जा रहा है और उन्हें सूचित किया जा रहा है कि ऋण राशि को सीमा के भीतर रखने के लिये उसके कृत्रिम हिस्से ना करे।
- वर्ष की शेष अवधि में, चलनिधि के प्रबंधन को नीतिगत पदानुक्रम में प्राथमिकता मिलेगी। बाज़ार की चलनिधि में कमी के परिणामस्वरुप मौद्रिक नीति का प्रभाव पहले से भी मज़बूत होने की संभावना है।
- उत्पन्न परिस्थिति की प्रतिक्रिया में चलनिधि के उचित नियमन को सुनिश्चित करने और मूल्य स्थिरता को बनाए रखने को सुनिश्चित करने हेतु रिज़र्व बैंक आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) सहित सभी नीतिगत साधनों का उपयोग करेगा।
- रिज़र्व बैंक सुनिश्चित करेगा कि प्रणाली में उचित चलनिधि रखी जाती है ताकि ऋण सभी वैध आवश्यकताएं, विशेषकर मूल्य और वित्तीय स्थिरता के उद्देश्य के सामजंस्य से उत्पादक प्रयोजनों के लिये ऋण मुहैया कराया जाता है । यहां पर रिज़र्व बैंक खुले बाजार परिचालनों के माध्यम से बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस), चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) और आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर)सहित चलनिधि के सक्रिय मांग प्रबंधन की अपनी नीति और स्थिति की आवश्यकतानुसार अपने सभी नीतिगत साधनों के उपयोग को जारी रखेगा।
- अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किसी प्रतिकूल और अप्रत्याशित गतिविधियों के पैदा होने को छोड़कर और मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण सहित अर्थव्यवस्था के चालू मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए आगे की अवधि में मौद्रिक नीति का समग्र दृष्टिकोण इस प्रकार होगा :
  - निर्यात तथा निवेश की माँग का एक मौद्रिक तथा ब्याज दर वातावरण सुनिश्चित करते समय मूल्य स्थिरता तथा सुनियोजित मुद्रास्फीति अपेक्षाओं पर दबाव डाला जाना, जो अर्थव्यवस्था में निर्यात तथा निवेश की माँग में इस प्रकार सहायता प्रदान करती है ताकि विकास की गति को जारी रखा जा सके।
  - भारी मात्रा में ऋण उपलब्ध कराने और वित्तीय समावेशन का साथ-साथ अनुसरण करते समय समष्टि आर्थिक और विशेषतः वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए ऋण समानता और वित्तीय बाजारों में सुव्यवस्थित स्थिति पर पुनः जोर डाला जाना।
  - विकसित हो रही वैश्विक और मुद्रास्फीति अपेक्षाओं से बाहर की घरेलू स्थितियों तथा विकास की गति के लिए समुचित सभी संभावित उपायों के साथ तेजी से अनुकूल होना।

मौद्रिक उपाय

- रिपो दर को 7.25 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.50 प्रतिशत किया गया।
- प्रत्यावर्तनीय रिपो दर , बैंक दर और आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) अपरिवर्तित रखी गयी हैं।
- चलनिधि समायोजना सुविधा (एलएफए) के अंतर्गत निविदा (निविदाओं) को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के अधिकार सहित रातभर (ओवरनाइट) के रिपो अथवा लंबी अवधि के रिपो का लचीलापन बनाए रखा गया है ।
- वर्ष 2006-07 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8.5 - 9.0 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है ।
- मुद्रास्फीति के 5.0 प्रतिशत की सीमा के मध्यावधि लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति को यथाशीघ्र यथासंभव 5.0 - 5.5 प्रतिशत के करीब नीचे लाना है ।

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या **South - 19/2006-08** **Regd. No. MH/MR/South-29/2006-08**
प्रत्येक महीने कार्य दिवस के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

- भू-संपदा क्षेत्र, बकाया क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों ,पूंजी बाजार जोखिम और व्यक्तिगत ऋणों के रूप में समझे जाने वाले ऋण और अग्रिमों (आवासीय आवास ऋणों को छोड़कर) में मानक परिसंपत्तियों के प्रावधानीकरण आवश्यकता को दो प्रतिशत से बढ़ाया गया।
- जमा राशि स्वीकार नहीं करनेवाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की मानक परिसंपत्ति श्रेणी में बैंकों के निवेश के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षा को दो प्रतिशत तक बढ़ाया गया।
- प्रणालीगत रुप से महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनीयों को लेकर गैर जमा के बैंकों के जोखिम के लिए जोखिम भार को 125 प्रतिशत से बढ़ाया गया।
- अनिवासी विदेशी खाता जमाराशियों पर ब्याज दर सीमा को तदनुरूपी परिपक्वता के अमरीकी डालर के लिए लिबोर / स्वैप दरों के ऊपर 100 आधार बिंदु से घटाकर 50 आधार बिंदु किया गया ।
- विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) जमाराशियों पर ब्याज दर की सीमा को अलग-अलग मुद्रा / परिपक्वता अवधियों के लिए लिबोर / स्वैप दरों के नीचे लिबोर / स्वैप दरों को 25 आधार बिंदु से घटाया गया।
- बैंकों को अनिवासी विदेशी खाता और विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता (बैंक) जमाराशियों पर 20 लाख रुपये से अधिक नये ऋण प्रदान करने से रोका जा रहा है और उन्हें सूचित किया जा रहा है कि ऋण राशि को सीमा के भीतर रखने के लिये उसके कृत्रिम हिस्से ना करें।
- उत्पन्न परिस्थिति की प्रतिक्रिया में चलनिधि के उचित नियमन को सुनिश्चित करने के लिये रिज़र्व बैंक द्वारा आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) सहित सभी नीतिगत साधनों का उपयोग किया जाएगा।
- रिज़र्व बैंक बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस), चलनिधि समायोजन सुविधा(एलएएफ) और आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) सहित खुले बाजार परिचालनों (ओएमओ) के माध्यम से जब और जैसी स्थिति हो के अनुसार सभी नीति लिखतों का अपने लचीले निपटान के रूप में उपयोग करते हुए चलनिधि की सक्रिय मांग प्रबंधन की अपनी नीति को जारी रखेगा।

आरक्षित नकदी निधि अनुपात बढ़ाया गया

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रखे गये आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को नीचे उद्धृत पखवाड़ों से दो चरणों में उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के एक प्रतिशत बिन्दु के आधे द्वारा बढा दिया गया है।

प्रभावी तारीख (अर्थात्, से प्रारंभ प्रखवाड़ा)	कुल मांग और मीयादी देयताओं पर आरखित नगदी निधि अनुपात
17 फरवरी 2007	5.75 प्रतिशत
3 मार्च 2007	6.00 प्रतिशत

8% रिलीफ बांड,2002 की चुकौती

(पृष्ठ 2 से आगे)

भुगतान आदेश

भुगतान आदेश के निर्गम द्वारा चुकौती के मामले में एजेंसी बैंक यह सुनिश्चित करें कि पतिदान की तारीखों के साथ भुगतान आदेश तैयार किये गए हैं और तैयार रखे गये हैं/अनुरोध के मामले में इस प्रकार भेजे गये हैं कि धारक को कम-से-कम एक दिन पहले तथा वरिष्ठ नागरिकों के मामले में तीन दिन पहले प्राप्त हो जायें।

ब्याज भुगतान

गैर-संचयी योजना के अतर्गत रखे गए बाण्ड लेजर खातों से संबंधित अंतिम खंडित अवधि के लिए ब्याज का भुगतान मूलधन के साथ किया जाए। ऐसे निवेशों के लिए ब्याज वारंट इस बात पर ध्यान दिये बिना परिपक्वता की तारीख को भेजे जाएं कि निवेशकर्ता ने चुकौती के लिए धारण प्रमाणपत्र/निवेश प्रमाणपत्र/चुकौती रसीद अभ्यर्पित की है या नहीं। परिपक्व बांड बही खातों के ऐसे ब्याज वारंट भेजते समय निवेशकर्ता को संबोधित लिफाफे पर यह उल्लेख किया जाए कि निर्दिष्ट तारीख को निवेश परिपक्व हो गया है। निवेशकर्ताओं के लिए सूचनाओं पर लगातार यह वाक्य लिखा जाए कि *निवेश पर ब्याज____/____/____ (परिपक्वता की तारीख) के बाद उपचित नहीं होगा।*

लेखा

मूलधन और ब्याज की गणना अलग-अलग की जाए और उनके स्क्रॉल अलग-अलग तैयार किए जाएं तथा समय-समय पर जारी किये गए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार लेखा परीक्षा/सत्यापन के लिए अभिलिखित किये जाएं।

भारत सरकार को रिपोर्टिंग

नामित शाखाएं अपने लिंक कार्यालय के माध्यम से लेखा नियंत्रक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को मासिक आधार पर इस योजना के अंतर्गत बाण्ड बही खाते के संबंध में भुगतान और बकाये को दर्शाते हुए एक विवरण प्रस्तुत करें। मूलधन और ब्याज से संबंधित चुकौती स्क्रॉल्स इस प्रयोजन के लिए एमओपी(प्रक्रिया ज्ञापन) के परिशिष्ट XI और XII के अनुसार अलग-अलग दर्शाये जाएं।

कार्यक्षेत्र के लोक ऋण कार्यालय को रिपोर्टिंग

लिंक कक्ष द्वारा कार्यक्षेत्र के लोक ऋण कार्यालय को भेजी गई मासिक रिपोर्ट में निरंतर परिशिष्ट IV के भाग डी में चुकौतियों के ब्यौरे दर्ज रहने चाहिए। उपर्युक्त महीने के लिए चुकौती स्क्रॉल्स से संबंधित मूलधन और ब्याज जो इस प्रयोजन हेतु एमओपी(प्रक्रिया ज्ञापन) के परिशिष्ट XII के अनुसार अलग-अलग दर्शाये गए हैं, इसके साथ प्रस्तुत किये जाएं।

केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर से प्रतिपूर्ति

एजेंसी बैंक/एसएचसीएल(भारत स्टॉक धारिता निगम लिमिटेड) अपने द्वारा **चुकौती किए जाने के बाद ही** एमओपी के पैरा 1.14 और 1.18 के अनुसार प्रतिपूर्ति के लिए फॉर्मेट में दावे प्रस्तुत करें। संबंधित लिंक कक्षों द्वारा ऐसे दावे इलेक्ट्रॉनिक रूप में सीएएस (केंद्रीय लेखा अनुभाग), नागपुर द्वारा सूचित आंकड़ा संरचना (संरचनाओं) में डिजिटली हस्ताक्षरित ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत किये जाएं। ये दावे आंतरिक/समवर्ती लेखा परीक्षकों से इस परिपत्र के साथ संलग्न फार्मेट में इस आशय के एक प्रमाणपत्र के विधिवत समर्थन के साथ प्रस्तुत किये जाएं कि चुकौती/ब्याज आंकड़ों की 100 प्रतिशत जाँच कर ली ग ई है तथा निवेशकर्ता को राशि का भुगतान पहले ही कर दिया गया है।

नामित बैंकों को सूचना

चूंकि अधिकांश शाखाओं ने अपने परिचालनों को कम्प्यूटरीकृत कर लिया है, उपर्युक्त अनुदेशों के अनुपालन के लिए आवश्यक अपेक्षित प्रणाली परिवर्तनों को कृपया पहले ही सूचित कर दिया जाए ताकि परिचालन स्तर पर किसी अवरोध को दूर किया जा सके तथा निवेशकर्ताओं को बेहतर ग्राहक सेवा दी जा सके।

उपर्युक्त अनुदेश उदाहरण के लिये हैं और व्यापक नहीं है और इन्हें एमओपी में अनुदेशों तथा समय-समय पर जारी परिपत्रों के साथ पढ़ा जाए। उपर्युक्त के संबंध में किसी विशेष संदेह अथवा जानकारी के लिए नामित बैंक कृपया कार्यक्षेत्र के लोक ऋण कार्यालय से संपर्क करें।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस लि.,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित । **ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, प्रेस संपर्क प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।**